तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/6141/2003/कोटा पृथ्वीराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.6.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक **निर्णय** प्रार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट की माता/दादी श्री एज्जनकंवर पत्नी सुल्तानसिंह को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकार भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सबंधि) नियम, 1957 के तहत ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नं0 273/866 में से रकबा 8 बीघ 17 बिस्वा भूमि जरिये नीलामी नियम 19 व 20 के तहत विक्रय कर आवंटन की गई। आवंटित भूमि खातेदारी को दिनांक 04.10.61 को प्रदान कर दी गई तब से आवंटी व वर्तमान में अपीलांट आवंटित भूमि कब्जा काश्त करते आ रहे है। जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 19. 10.2002 से यह कहते हुये अपीलांट के पक्ष में नीलामी से किया आवंटन व नीलामी निरस्त कर दिया कि उन्होंने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 7 व 28 व अधिनियम की तहतस बनाई गई (जनरल कॉलोनी) की शर्तो 1955 का उल्लघंन किया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 03. 11.2003 से अपीलांट की अपील यह कहते हुये खारिज कर दी कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14 में शर्तो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/6141/2003/कोटा पृथ्वीराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की अवहेलना पर टिनेन्सी भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। राजस्व अपील अधिकारी के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपनिवेशन विभाग की ओर से वर्ष 1961, 1962 व 1963 में ग्रम सकतपुरा में 226/– रूपये प्रति बीघा की दर से जमीन खुली बिक्री की सूचना प्रसारित की गई थी । जिसमें अपीलांट ने रूपये जमा करवाकर जमीन खुली नीलामी में क्रय की थी। विक्रय की जाने वाली भूमि का लेवल ऊॅचा था, भूमि पथरीली थी इसलिए सिंचाई के अभाव में वादग्रस्त भूमि पर फसल पैदा नहीं हो सकती थी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन कॉलोनी की शर्तो को कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलांट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी भी दिये जा चुके है। इतनी लंबी अवधि के पश्चात नीलामी अवैध बताकर कार्यवाही कर टीनेन्सी समाप्त नहीं की जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने कहा कि मंडल द्वारा भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नीलामी द्वारा विक्रय की गई भूमि को धारा 22 के तहत कार्यवाही करके निरस्त नहीं किया जा सकता है। बहस के अंत में उन्होने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को भूमि का आवंटन/नीलामी वर्ष 1961 में हुई थी किन्तु अपीलांट द्वारा आवंटन में दी गयी निर्धारित शर्तो का पालना किया जाना था जो उसके द्वारा नहीं किया गया। आवंटी द्वारा आवंटित आराजी पर निरन्तर काश्त भी नहीं की गयी। नामांतरकरण संख्या 75 से दिनांक 31.12.71 को विवादित भूमि थर्मल पावर प्रोजक्ट के खाते में दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/6141/2003/कोटा पृथ्वीराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हो चुकी थी। भूमि वर्तमान में थर्मल पावर प्रोजक्ट के खाते में दर्ज है एवं प्रोजेक्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है। बहस के अंत में उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवदेन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकार भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सबंधि) नियम, 1957 के तहत ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में अपीलांट को भूमि का आवंटन/नीलामी किया गया था । आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना की जानी थी जो उसके द्वारा नहीं की गयी। आवंटी द्वारा निरन्तर काश्त भी नहीं की गयी है। विवादित भूमि थर्मल पावर प्रोजक्ट के खाते में दर्ज हो चुकी थी। भूमि वर्तमान में थर्मल पावर प्रोजक्ट के खाते में दर्ज है एवं प्रोजेक्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य